शिक्षक - रवि शंकर राय
दिनांक - 07-08-2020

विषय - अर्थशास्त्र
वर्ग - B.A-II

वास्तव में Licensing policy ऊपर दिए गए उद्देश्यों के लिए सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। एक प्रभावशाली औद्योगिक घराना हमेशा नए लाइसेंसो को प्राप्त करने में सफल रहता था न कि नए उद्यमी। मूल्य नियंत्रण नीति का उद्देश्य लाईसेंसिंग द्वारा लोगो को सस्ते मूल्यों पर सामान प्रदान कर उनकी मदद करना था, लेकिन परोक्ष रूप से यह निजी लाइसेंस प्राप्त उद्यमों की मदद कर रहा था। इसका कारण केन्द्र द्वारा निजी कंपनियों को दी जा रही छूट थी। इसी तरह पुराने तथा सुव्यवस्थापित औद्योगिक घरानो को यह सामर्थ्य था कि वे नए उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा बाधाएँ उत्पन्न कर सकते थे जिसके प्रभाव से उन्हे बेच दिया जाता था या उद्योगो द्वारा इनका अधिनीकरण (take over) किया जाता। सरकार द्वारा अनेक समितियाँ स्थापित की गई, जो इस विषय का अध्ययन कर उनके निदान के लिए सलाह दे सके। "Industries Licensing policy के पुनरीक्षण के लिए स्थापित समितियों ने नीति की कमियों की ओर संकेत किया, लेकिन औद्योगिक लाईसेंसिंग की उपयोगी भूमिका को स्वीकार भी किया। अंततोगत्वा वर्ष 1969 में नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई, जिसने इस क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए -

1) एकाधिकारी तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया (Monopolistic and Restrictive Trade practice - MRTP) अधिनियम पारित किया - । इस अधिनियम का -

का उद्देश्य कंपनियों के व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केन्द्रीकरण को रोकना था।

ii) 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सम्पति रखने वाली कम्पनियों पर यह बाध्यता थी कि वे किसी विस्तार, "ग्रीनफील्ड वेन्चर" या दूसरी कम्पनीयों द्वारा अधिग्रहण (MRTP अधिनियम के तहत) से पहले भारत सरकार से अनुमति ले। इन कंपनियों को "MRTP कम्पनियाँ कहा गया। इन कम्पनियों के लिए ऊपरी सीमा को 1980 में 50 करोड़ रुपये तथा 1985 में 100 करोड़ रुपये कर दिया गया।"

iii) व्यापार को निषिद्ध तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं को समायोजित करने के लिए सरकार ने MRTP आयोग की स्थापना की।

1973 की औद्योगिक नीति
(Industrial policy statement, 1973)

1973 की औद्योगिक नीति ने अर्थव्यवस्था में कुछ नई विचारधाराओं का समावेश किया जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं:-

i) एक नए वर्गीकरण शब्द 'कोर' अथवा मूलभूत उद्योग की उत्पति हुई। इसके अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं, जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूलभूत रूप से

महत्वपूर्ण हैं, जैसे लोहा व इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल परिष्करण तथा बिजली के उद्योग। भविष्य में ये उद्योग देश में मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग के नाम से जाने जाएँगे।

ii) इस नीति द्वारा परिभाषित 6 'क' उद्योगों में से अधिकांश निजी क्षेत्र उन उद्योगों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते थे, जो 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसूची A में शामिल थे। ऐसे अनुज्ञापत्र के आवेदन के लिए किसी भी निजी कंपनी के कुल संपत्ति का 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना आवश्यक था।

iii) कुछ उद्योग को आरक्षित सूची में रखा गया, जहाँ केवल लघु अथवा मध्यम उद्योग ही स्थापित किए जा सकते हैं।

iv) संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) की अवधारणा विकसित हुई, जिसके द्वारा उद्योग स्थापित करते समय केन्द्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी की अनुमति दी गई। सरकारों का यह विवेकाधिकार था कि भविष्य में वे ऐसी साझीदारी से अलग हो सकें। इस तरह सरकार निजी क्षेत्र को राज्य के समर्थन द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती थी।

v) भारत सरकार उस समय विदेशी मुद्रा की कमी के दौर से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act- FERA) को 1973 में पारित किया गया। विशेषज्ञों ने इसे कठोर अधिनियम की संज्ञा दी- जिसने